

न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चन्देरी, जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-358/07
संस्थापित दिनांक-17.08.2007
Filling no-235103000552007

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- देशराज पुत्र सूरत सिंह उम्र 46 साल 2- सोनसिंह पुत्र दलसिंह उम्र 45 साल निवासीगण - ग्राम हिरावल चंदेरी जिला अशोकनगरआरोपीगण

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 31.10.2017 को घोषित)

01- अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 504, 325/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 08.07.2007 को ग्राम हिरावल में सामान्य आशय के अग्रसरण में सुखसिंह को साशय अपमानित करने के आशय से यह संभाव्य जानते हुए प्रकोपित किया कि वह ऐसे प्रकोपन से लोक शांति भंग करेगा अथवा अन्य कोई अपराध कारित करेगा एवं सामान्य आशय के अग्रसरण में लाठी से मारपीट कर सुखसिंह को अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।

02- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी/आहत सुखसिंह ने अपने अपनी पत्नी रामकली के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि देशराज के खेत से होकर मेरे खेत में जाने का रास्ता है। दिनांक 08.07.2007 को दिन के 12 बजे करीबन वह अपने खेत पर जा रहा था कि देशराज, सोमसिंह ने उसे गाली गलौच किया व बिना कारण देशराज ने लाठी से मारपीट की जिससे बांये हाथ के पंजा, कलाई में, बांये पुट्टे पर, हाथ के अंगूठा में मुंदी चोटे आई। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

03- अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झूठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :—

1.	क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 08.07.2007 को ग्राम हिरावल में सामान्य आशय के अग्रसरण में प्रार्थी सुखसिंह को साशय अपमानित करने के आशय से यह संभाव्य जानते हुए प्रकोपित किया कि वह ऐसे प्रकोपन से लोक शांति भंग करेगा अथवा अन्य कोई अपराध कारित करेगा ?
2.	क्या अभियुक्तगण द्वारा घटना दिनांक समय स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में देशराज एवं सोमसिंह द्वारा लाठी से मारपीट कर प्रार्थी को अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

विचारणीय प्रश्न क0 01:—

05— फरियादी सुखसिंह अ.सा.3 ने उसके मुख्य परीक्षण के पैरा 3 में बताया कि झगड़े के समय देशराज ने उसके साथ गाली गलौच की थी। उक्त साक्षी के अलावा किसी अन्य साक्षी ने उसके कथनों में फरियादी सुखसिंह को गाली दिये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं दिये। किन्तु मात्र इस प्रकार की साक्ष्य के आधार पर ही अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 504 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों को समस्त युक्तियुक्त संदेहों से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है क्योंकि फरियादी सुखसिंह अ.सा.3 ने वे गालियां नहीं बताई हैं जो अभियुक्तगण ने उसे दी थीं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **धुलजी विरुद्ध लालजी राम 1989 (II) म. प्र. व्ही.नोट 110** में इस आशय का मत अभिव्यक्त किया गया है कि संहिता की धारा 504 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप को प्रमाणित करने के लिए मात्र इतना कह देना पर्याप्त नहीं है कि “गालियाँ दी” और अभियुक्त द्वारा बोले गये वास्तविक शब्द अभिलेख पर होने चाहिए।

06— इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह दर्शित करने के लिए भी अभिलेख पर कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा इस आशय या ज्ञान के साथ फरियादी रामप्रसाद को प्रकोपित किया गया था कि ऐसे प्रकोपन के फलस्वरूप वह लोक शांति भंग कर दे या अन्य कोई अपराध कारित कर दे। संहिता की धारा 504 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप के प्रमाणित होने के लिए मात्र यही प्रमाणित होना पर्याप्त नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा किसी व्यक्ति को अपमानित किया गया था या उसे अश्लील गाली दी गई थी और इसके साथ साथ यह भी मुख्य रूप से प्रमाणित होना आवश्यक होता है कि अभियुक्त द्वारा इस आशय या ज्ञान के साथ उस व्यक्ति को प्रकोपित भी किया गया था कि ऐसे प्रकोपन के फलस्वरूप वह व्यक्ति लोक शांति भंग कर दे या अन्य कोई अपराध कारित कर दे। इस विधिक स्थिति के संबंध में माननीय असम उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा न्याय दृष्टांत **मोहम्मद साबेद अली विरुद्ध थुलेस्वर 1955 किमीनल लॉ जर्नल 1318** में एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **अब्दुल मजीद**

विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान 2012 किमीनल लॉ जर्नल 4392 में प्रतिपादित अनुकरणीय हैं।

07— इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 504 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप समस्त युक्तियुक्त संदेहों से परे प्रमाणित नहीं होते हैं और अभियुक्तगण इन आरोपों से दोषमुक्त होने के अधिकारी हो जाते हैं।

विचारणीय प्रश्न क0 02:—

08— सुखसिंह अ0सा03 ने उसके कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानता है। साक्षी रामकली अ0सा04, गुलाबबाई अ0सा05 ने भी उनके कथनों में आरोपीगण को जानने वाली बात व्यक्त की। सुखसिंह अ0सा03 ने बताया कि वह आरोपी सोनसिंह उसका भतीजा है और आरोपी देशराज को उसने पाला पोशा है इसलिये दोनों का जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथनों से 5—7 साल पुरानी होकर शाम 4 बजे की है, फिर कहा करीब 2 बजे की होगी। उक्त साक्षी ने बताया कि जब वह खेत बोन गया था देशराज की पत्नी जामबाई हसिया लेकर उसके सामने आ गई, उस समय वह खेत बो रहा था तो उसे देशराज ने लोहे की जेरी “दो फन की” मारी। उक्त साक्षी ने बताया कि उसे दोनों हाथ की कलाई पर मारा था, उसके दाहिने हाथ की कलाई एवं अंगुली तथा बांये हाथ के दडा में चोट आई थी और कहीं चोट नहीं आई थी। उक्त साक्षी का कहना है कि वह रिपोर्ट करने नहीं गया।

09— अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित करारकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात को स्वीकार किया कि उसके खेत में जाने के लिये आरोपी देशराज के खेत से होकर जाना पड़ता है। स्वतः कहा कि शामिल खाता है। अभियोजन अधिकारी द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी सुखसिंह अ0सा03 ने इस बात से इंकार किया कि देशराज ने उसे लाठी मारी तो बांये हाथ की हड्डी टूट गई थी। स्वतः कहा कि खून की धार बन गई थी। उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि झगडा हुआ उस समय गुलाब बाई, रामकली बाई घटना स्थल पर मौजूद थी। उक्त साक्षी का कहना है कि उसने उक्त बातें प्र.पी0 3 की अदम चैक रिपोर्ट प्र.पी. 4 के कथन में बता दी थी।

10— प्रतिपरीक्षण में सुखसिंह अ0सा03 ने बताया कि उसके द्वारा घटना की रिपोर्ट 3 दिन बाद की थी और रिपोर्ट करने के बाद उपचार हुआ था और उसी दिन उसका एक्सरा भी हो गया था। उक्त साक्षी का कहना है कि सोनसिंह ने उससे कुछ नहीं कहा और न ही उसकी मारपीट की। सुखसिंह अ0सा03 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में बताया कि वह पुलिस थाने गया था लेकिन कुछ बोला नहीं था और उसके साथ जो लोग गये थे उन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी वह तो बैठा था। उक्त साक्षी ने यह भी बताया कि उसके साथ उसकी पत्नी रामकली थी उसने चाहे रिपोर्ट लिखाई हो।

पुलिस थाने पर उससे किसी ने कुछ नहीं पूछा और न ही वह बोला। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि वह 3 दिन तक यह सोचता रहा कि कैसी रिपोर्ट लिखाना है। स्वतः कहा वह तो यह सोचता रहा कि आरोपीगण उसका इलाज करा देगे।

11— रामकली अ0सा04 ने उसके कथनों में बताया कि वह अभियुक्त देशराज एवं सोनसिंह का जानती है। सोनसिंह उसके परिवार का है और देशराज उसका लडका है। घटना उसके न्यायालयीन कथनों से करीब 8 साल पहले की है। घटना के समय वह कुएं पर जानवरो को पानी देने गई थी और उसने नहीं देखा कि क्या घटना हुई है। उक्त साक्षी का कहना है कि उसके पति सुखसिंह उसके पास आए और कहा कि उसने मुझे मार दिया। देशराज ने लकड़ी की जैरी से पति को मारा था जिससे उनके दोनों हाथ टूट गये थे और सिर से खून आ रहा था। झगड़ शामिलाली भूमि पर बने रास्ते के उपर से हुआ था। उक्त साक्षी ने कहा कि फिर उसने देशराज की रिपोर्ट कर दी और घटना के संबंध में कोई बयान देने नहीं आया। प्रतिपरीक्षण ने साक्षी रामकली अ0सा04 ने बताया कि सोनसिंह ने कुछ नहीं किया था उसने केवल गाली दी थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में उक्त साक्षी ने बताया कि उसने घटना स्थल पर झगड़ा होते हुए नहीं देखा है।

12— गुलाबबाई अ0सा05 ने उसके कथनों में बताया कि वह अभियुक्तगण को जानती है और फरियादी सुखसिंह लोधी उसके ससुर है। उक्त साक्षी ने बताया कि घटना के समय वह घर पर थी और पास के गाँव की बच्ची जिसका नाम वह नहीं जानती, ने आकर बताया कि चाची तुम्हारे दादा सुखसिंह को मारा है, साक्षी ने बताया कि सुखसिंह को देशराज ने मारा था, किन्तु किस वस्तु से मारा था इसकी जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी का कहना है कि उससे झगड़े के बारे में किसी ने पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात को स्वीकार किया कि उसके ससुर जिस समय देशराज के खेत के रास्ते से निकलकर जा रहे थे तो अभियुक्तगण ने सुखसिंह से मारपीट की थी। स्वतः कहा कि उसके ससुर ने उसे बताया था कि जहाँ झगड़ा हुआ था वहाँ पर सोन सिंह नहीं था। उक्त साक्षी ने स्वतः कहा कि झगड़ा उसके सामने नहीं हुआ और उसे यह भी नहीं पता कि झगड़े के बाद पुलिस आई थी या नहीं। प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह यह नहीं बता सकता कि सुखसिंह को ट्रैक्टर से गिरने से चोट आई। बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि सुखसिंह व देशराज के मध्य जमीन का विवाद चल रहा है।

13— डॉ० एस.पी.सिद्धार्थ अ0सा01 ने बताया कि दिनांक 10.07.07 को उसके द्वारा सुखसिंह का मेडिकल परीक्षण किया था जिसमें एक नीलगू निशान, बाएं हाथ के पिछले भाग पर, खरोच बांयी अग्रभुजा पर अन्दर की ओर एवं नीलगू निशान बाएं कुल्हे पर। उक्त साक्षी ने बताया कि उक्त चोटो पर सुजन दर्द था और चोटो का रंग नीला हो गया था और चोट क० 1 के लिये एक्सरे की सलाह दी थी शेष चोटो

साधारण प्रकृति की होकर 24 से 48 घंटे के भीतर की थी, उक्त रिपोर्ट प्र.पी.1 है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि यदि कोई व्यक्ति बांये हाथ के बल गिरता है तो उक्त चोट आ सकती है।

14— अभियोजन साक्षी रामकली अ0सा04 एवं गुलाब बाई अ0सा05 ने उनके कथनो में इस बात को स्वीकार किया है कि घटना के समय उक्त साक्षीगण मौके पर मौजूद नहीं थे जिससे उक्त साक्षीगण की साक्ष्य अनुश्रुत साक्षी की श्रेणी में आती हैं। यद्यपि उक्त साक्षीगण ने आहत सुखसिंह को घायल अवस्था में देखा जाना व्यक्त किया है। प्रकरण में फरियादी सुखसिंह के अलावा अन्य किसी चक्षुदर्शी साक्षी के साक्ष्य का अभाव है जिससे फरियादी सुखसिंह अ0सा03 की साक्ष्य का सुक्ष्मता से विशलेषण किया जाना आवश्यक हैं। फरियादी सुखसिंह अ0सा03 ने उसके मुख्यपरीक्षण में बताया कि जब वह खेत बोनै गया तो देशराज की पत्नी जामबाई हसिया लेकर उसके सामने आ गई और जब वह खेत बो रहा था तो देशराज ने लोहे की जैरी 2 फन की से उसे मारा था जबकि अदम चैक रिपोर्ट प्र.पी.3 का अवलोकन करने से दर्शित है कि उक्त रिपोर्ट में देशराज व सोनसिंह द्वारा गाली गलौच करने एवं बिना कारण देशराज द्वारा लाठी से मारना व्यक्त किया है। जबकि न्यायालयीन कथनो में साक्षी लोहे की जैरी से मारना व्यक्त करता है। अदम चैक रिपोर्ट प्र.पी.3 में फरियादी सुखसिंह, आरोपी देशराज व सोनसिंह द्वारा गाली देना बताता है, जबकि प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में बताता है कि सोनसिंह ने उसकी मारपीट नहीं की, इसके अलावा गुलाब बाई अ0सा05 ने मुख्य परीक्षण के पैरा 2 में स्वतः इस बात को बताया कि उसके ससुर सुखसिंह ने उसे बताया था कि जहां झगडा हुआ था वहां पर सोनसिंह नहीं था।

15— सुखसिंह अ0सा03 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में बताया कि जब वह पुलिस थाने गया था पर बोला कुछ नहीं था, उसके साथ जो लोग गये थे उन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी। अदम चैक रिपोर्ट प्र.पी.3 के अनुसार घटना 08.07.2007 की होकर दिन के 12 बजे की होना लेख है जिसके संबंध में फरियादी सुखसिंह द्वारा घटना के 2 दिन पश्चात दिनांक 10.07.07 को 14:30 बजे रिपोर्ट लेख कराया जाना उल्लेखित है और 2 दिन विलम्ब से रिपोर्ट लेख कराये जाने के संबंध में अदम चैक रिपोर्ट प्र.पी. 3 में कोई उल्लेख नहीं है। राजेन्द्र सिंह जादौन अ0सा07 ने प्रतिपरीक्षण में बताया कि उसके द्वारा लाठियां जप्त नहीं की गई थी तथा प्र.पी.2 की रिपोर्ट 2 दिन बाद लेखबद्ध कराये जाने के संबंध में देरी के कारण का उल्लेख नहीं है। और न ही अभियोजन की ओर से उक्त विलम्ब के संबंध में कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। न्याय दृष्टांत **दीलावर सिंह वि0 स्टेट ऑफ देहली 2007 सीआरएलजे 4709** के अनुसार जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलम्ब हुआ हो वहां न्यायालय विलम्ब के स्पष्टीकरण को देखता है, कभी-कभी विलम्ब झुठी कहानी गडने का अवसर दे देता है और जहां विलम्ब का उचित स्पष्टीकरण न दिया गया हो वहां विलम्ब घातक होता है।

16— शिवमंगल सिंह अ0सा02 ने उसके कथनो में बताया कि दिनांक 03.08.2007

को वह थाना चंदेरी में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अदम चैक रिपोर्ट 427/07 में फरियादी सुखसिंह की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने पर आहत को फेक्चर आने के आधार पर आरोपी देशराज व सोनसिंह के विरुद्ध अपराध क्र० 207/07 पंजीबद्ध किया था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के उक्त सुझाव को स्वीकार किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 03.08.07 को पंजीबद्ध की थी। उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में बचाव पक्ष की ओर से यह पूछे जाने पर आपके द्वारा प्र.पी.2 की कायमी घटना के 25 दिन बाद की है तो साक्षी का कहना है कि एक्सरे रिपोर्ट आने से उक्त कायमी की थी।

17— डॉ० सीताराम रघुवंशी अ०सा०6 ने बताया कि दिनांक 24.07.2007 को वह जिला चिकित्सालय गुना में रेडियो लॉजिस्ट के पद पर पदस्थ थे और उक्त दिनांक को आहत सुखसिंह के बांये हाथ का एक्सरे परीक्षण किया था। एक्सरे प्लेट के अवलोकन के बाद बांये हाथ की पाचवीं मेटाकार्पल हड्डी का अस्थिभंग पाया गया था। साक्षी द्वारा दी गई रिपोर्ट प्र.पी. 6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि प्र. पी. 4 की चोट बांये हाथ के बल सख्त वस्तु पर गिरने से आना संभव है। उक्त चोट में कैलस फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रहा था और उक्त चोट पुरानी नहीं थी। साक्षी ने बताया कि उक्त चोट 2 सप्ताह के भीतर की हो सकती है। कैलस फॉर्मेशन अस्थिभंग के समय से ही बनना शुरू हो जाता है, किन्तु एक्सरे में वह 14 दिन पश्चात दिखाई देता है अर्थात् विशेषज्ञ साक्षी डॉ० सीताराम रघुवंशी की साक्ष्य से स्पष्ट है कि आहत सुखसिंह को जो चोट आई थी उसमें कैलस फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि कैलस फॉर्मेशन अस्थिभंग के समय से ही बनना शुरू हो जाता है। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि उक्त चोट 15 दिन की नहीं हो सकती है।

18— इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत फरियादी सुखसिंह की साक्ष्य में तात्त्विक तथ्यों को लेकर महत्वपूर्ण विरोधाभास है, जैसे कि अदम चैक रिपोर्ट में साक्षी लाठी से मारपीट किया जाना व्यक्त करता है जबकि न्यायालयीन कथनों में लोहे की जैरी से मारना व्यक्त करता है। मुख्य परीक्षण में उक्त साक्षी यह भी बताता है कि जब वह खेत बोने गया तो देशराज की पत्नी जामबाई हसिया लेकर उसके सामने आ गई तथा घटना दिनांक 08.07.07 की होना व्यक्त करता है और उक्त घटना की रिपोर्ट 10.07.07 को 14:30 बजे लेखबद्ध कराया जाना बताता है और दो दिन पश्चात रिपोर्ट लेख कराये जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण भी न्यायालय के समक्ष व्यक्त नहीं किया, इसके अलावा आहत सुखसिंह की एम.एल.सी दिनांक 10.07.07 को डॉ० एस.पी.सिद्धार्थ अ०सा०1 द्वारा किया जाना उल्लेखित है और चोट क्र० 1 के लिये एक्सरे की सलाह भी दी गई थी किन्तु क्या कारण रहा कि दिनांक 10.07.2007 को आहत की एमएलसी होने के पश्चात दिनांक 24.07.2007 को आहत का एक्सरे किया गया। एक्सरे कराये जाने में हुए विलम्ब का भी कोई कारण न्यायालय के समक्ष नहीं है तथा फरियादी व आरोपीगण के मध्य जमीन की रंजिश को लेकर विवाद होना भी

प्रकट है, जिससे सम्पूर्ण घटना कम संदेहास्पद हो जाता है।

19— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्तानुसार किये गये विशलेषण के आधार पर अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपो को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त **देशराज पुत्र सूरत सिंह** उम्र 46 साल, **सोनसिंह पुत्र दलसिंह** उम्र 45 साल निवासीगण — ग्राम हिरावल चंदेरी जिला अशोकनगर को धारा 504, 325/34 भा0द0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

20— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

21— प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल जप्त नहीं है।

22— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
कर घोषित किया गया ।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0